

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाबता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

गोठसीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :-228/2024

1. राधेश्याम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-- वादीगण

बनाम

1. लिष्मा पुत्री सुलतान पत्नी कृष्ण चन्द जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।



-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.घोषणा व खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :- 20.08.2024

वादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.08.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

- (क). वादी संख्या 1 राधेश्याम को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 3 सी.डी.आर. के खाता संख्या 150/127 के पत्थर नम्बर 226/221(4) किला नम्बर 23.24/0.506 हैक्टर चक नम्बर 3 सी.डी.आर. के खाता संख्य 84/28 में से पत्थर नम्बर 225/221(3) किला नम्बर 6/0.225 हैक्टर पश्चिम दिशा 15/0.225 हैक्टर पश्चिम दिशा 16/0.137 हैक्टर उत्तरी दिशा, पत्थर नम्बर 226/221(4) किला नम्बर 11/0.210 हैक्टर उत्तरी दिशा, 21/0.238 हैक्टर पूर्व दिशा, 22/0.253, पत्थर नम्बर 227/222(22) किला नम्बर 11, 20/0.506 हैक्टर।
- (ख). वादी संख्या 2 महेन्द्र कुमार को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 3 सी.डी.आर. के खाता संख्या 150/127 में पत्थर नम्बर 226/222(23) किला नम्बर 4/0.253 हैक्टर, चक नम्बर 3 सी.डी.आर. के पत्थर नम्बर 225/221(3) किला नम्बर 16/0.088 हैक्टर दक्षिण दिशा, 24, 25/0.506 हैक्टर, पत्थर नम्बर 226/221(4) किला नम्बर 11/.043 हैक्टर दक्षिण दिशा, 20/0.251 हैक्टर, पत्थर नम्बर

226/222(23) किला नम्बर 1 ता 3/0.759 हैक्टर, पत्थर नम्बर 227/222(22) किला नम्बर 12,19/0.506 हैक्टर।

(ग) वादीगण संख्या 1 राधेश्याम व वादीगण संख्या 2 महेन्द्र कुमार को ब0हि0व0 प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 3 सी.डी.आर. के खाता संख्या 84/128 मे पत्थर नम्बर 225/221(3) किला नम्बर 6/0.028 हैक्टर पूर्व दिशा, 15/0.028 हैक्टर पूर्व दिशा, 16/0.028 हैक्टर पूर्व दिशा, पत्थर नम्बर 226/221(4) किला नम्बर 20/0.002 हैक्टर दक्षिण-पश्चिम कॉर्नर, 21/0.015 हैक्टर पश्चिम दिशा

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर मुताबिक तकसीम रकम राज अलग से कायम की जाकर चक नम्बर 3 सी.डी.आर. के खाता संख्या 150/127 तथा इसी चक के खाता संख्या 84/128 में से लिछमा व सिंगारी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 20.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---	योग	---
योग	---		